संख्या-192/2018/3002/22-2-2017-17(126)/2015

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 26 फरवरी, 2018***

विषय:- जिला कारागार, मुरादाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जहॉगीर पुत्र श्री इन्तजार हुसैन, निवासी जनपद-मुरादाबाद की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-41186/प्रोबे0-5-दयायाचिका/86 दिनांक 15.11.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, मुरादाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जहॉगीर पुत्र श्री इन्तजार हुसैन, जो ग्राम-पीपलसाना, थाना-भोजपुर, जनपद-मुरादाबाद का रहने वाला है। बन्दी द्वारा गाली-गलौज के विवाद को लेकर दिनांक 22.03.1994 को 05 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे एवं चाकुओं से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-484/1994 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 148 के अन्तर्गत मा0 अष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद के आदेश दिनांक 16.09.1995 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.05.2014 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 31.03.2016 तक 06 वर्ष 08 माह 01 दिन की अपरिहार सजा तथा 06 वर्ष 10 माह 13 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा कारित अपराध की प्रकृति, काटी गयी सजा, जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी जहॉगीर (बन्दी संख्या-1038/14) पुत्र श्री इन्तजार हुसैन, निवासी जनपद-मुरादाबाद की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-192/2018/3002(1)/22-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, मुरादाबाद।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in